



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

38-2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2019 (PHALGUNA 7, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 26th February, 2019

No. 19-HLA of 2019/23/4228.— The Haryana Guest Teachers Service Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 19- HLA of 2019.

THE HARYANA GUEST TEACHERS SERVICE BILL, 2019

A

BILL

To provide service of teachers engaged as guest faculty/adhoc/contractual basis in the School Education Department, Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Haryana Guest Teachers Service Act, 2019. Short title.
2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.
 - (a) “Appropriate Authority” means appointing authority of the corresponding regular teacher;
 - (b) “Appellate Authority” means the appellate authority of the corresponding regular teacher;
 - (c) “Department” means School Education Department;
 - (d) “Government” means the Government of the State of Haryana in administrative department;

- (e) “guest teacher” means a teacher working as a guest teacher in the Education department;
- (f) “PRT” means PRT as defined in the Haryana Primary School Education (Group C) State Cadre Service Rules, 2012;
- (g) “TGT” means TGT as defined in the Haryana Primary School Education (Group C) State Service Rules, 2012;
- (h) “PGT” means PGT as defined in the Haryana State Education School Cadre (Group B) Service Rules, 2012;
- (i) “regular teacher” means PRT or TGT or PGT working in Department and who has been issued appointment on regular basis;
- (j) “superannuation” means fifty-eight years of age.
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in Haryana Civil Services (General) Rules, 2016 have the meanings respectively assigned to them in those Rules.
- Terms of Service. **3.** A guest teacher already working as such shall continue to work in the Department till the age of Superannuation notwithstanding his mode or manner of appointment and length of service rendered on the date of commencement of this Act.
- Remuneration/
Honorarium **4.** Consolidated monthly honorarium of guest teachers shall be increased with effect from first day of January and first day of July every year in the same proportion as the Dearness Allowance granted by the Government to regular employees so as to completely neutralize inflation. However, such consolidated honorarium shall not exceed the minimum of the pay-scale (at the lowest grade, in the regular pay scale), extended to corresponding regular teacher of the Department.
- Duty. **5.** (1) A guest teacher shall perform following duties in the order of preference in the school where he is posted:-
- (i) classroom teaching due to vacancy of one or more regular teachers against sanctioned strength;
- (ii) classroom teaching due to non-availability of one or more regular teachers whether caused due to authorized leave, training, retirement, unauthorized absence or death;
- (iii) non-classroom academic work like remedial teaching, supervision and evaluation of tests, experiments in laboratory etc.;
- (iv) administrative duties like supervision of Mid Day Meal Scheme, enrolment drive, awareness drive in community through interaction with parents of students or any data collection or survey related works authorized by the Department.
- (2) If a guest teacher has not performed any duty under any of the clauses (i), (ii) or (iii) above for one full month and it is likely that he would not be called upon to so perform any duty under any of the said clauses for the next month too, Head of the School shall intimate the Appropriate Authority who shall relocate the guest teacher to a school where requirement for performing of duty under any of the said clauses exists.
- (3) A guest teacher shall be liable to serve at any place in the State of Haryana.
- Removal **6.** (1) A guest teacher may be removed from the service by the Appropriate Authority if he is proved guilty of an act of omission or commission which, if had been committed by a regular employee of the Government, would have made him liable for initiation of disciplinary proceedings for major penalty.
- (2) A guest teacher so removed may make an appeal against the above decision before the Appellate Authority whose decision shall be final.
- Delegation. **7.** Appropriate Authority, with the prior approval of the Government, may delegate its power under this Act to a subordinate authority not below the rank of District Elementary Education Officer or District Education Officer as the case may be.

-
- 8.** (1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the Government may by an order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty. Power to remove difficulty.
- (2) Every order made under this section, shall be laid, as soon as after it is made, before the State Legislature.
- 9.** (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for the compensation, leave, transfer, termination of service etc. for carrying out of this Act. Power to make rules.
- (2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as after it is made, before the State Legislature.
- 10.** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or any officer or employee of the Government or any other person or authority, authorized by Government for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or the notification issued thereunder. Protection of action taken in good faith.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the year 2005, to ensure that studies of the students do not suffer due to shortage of teachers, the Department authorized Heads of Institutions/Block Education Officers vide Memo No. 15/59-2005 Co (3) dated 29.11.2005, 16.12.2005 and 18.09.2006 to assess the short fall of Teachers keeping in view the sanctioned posts of teachers and enrolment of students and to engage teachers as guest faculty wherever necessary. Initially, the guest teachers were engaged on a fixed remuneration on per period, per day basis. However, w.e.f. 01.04.2009, the guest faculty teachers were engaged on yearly contract basis on a fixed remuneration. Thus, it is proposed to provide for the validation of appointment of teachers already engaged as Guest Faculty Teachers and to allow them to continue to work in the Department till the age of Superannuation.

RAM BILAS SHARMA,
Education Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the Introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh:
The 26th February, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

There will be financial implication of approximately Rs. 505 crore per year on the State Exchequer on account of payment of consolidated monthly honorarium to guest teachers which shall be increased w.e.f. 1st day of January and 1st day of July every year in the same proportion as the dearness allowance granted by the Government to regular employees so as to completely neutralize the inflation.

MEMORANDUM REGARDING DELAGATED LEGISLATION

Clause 9 of the proposed bill empowers State Government to frame rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under Rule 126 of the rules of procedure and conduct of business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 19-एच०एल०ए०

हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक, 2019
विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा में अतिथि संकाय/ तदर्थ/
संविदात्मक आधार के रूप में नियोजित शिक्षकों
की सेवा का उपबन्ध करने हेतु
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्राय है, तत्समान नियमित शिक्षक का नियुक्ति प्राधिकारी;
 - (ख) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्राय है, तत्समान नियमित शिक्षक का अपील प्राधिकारी;
 - (ग) "विभाग" से अभिप्राय है, विद्यालय शिक्षा विभाग;
 - (घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;
 - (ङ) "अतिथि शिक्षक" से अभिप्राय है, शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत कोई शिक्षक ;
 - (च) "पी०आर०टी०" से अभिप्राय है, हरियाणा प्राथमिक विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) राज्य संवर्ग सेवा नियम, 2012 में यथा परिभाषित पी०आर०टी० ;
 - (छ) "टी०जी०टी०" से अभिप्राय है, हरियाणा प्राथमिक विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) राज्य सेवा नियम, 2012 में यथा परिभाषित टी०जी०टी० ;
 - (ज) "पी०जी०टी०" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2012 में यथा परिभाषित पी०जी०टी०;
 - (झ) "नियमित शिक्षक" से अभिप्राय है, विभाग में कार्यरत पी०आर०टी० या टी०जी०टी० या पी०जी०टी० और जिसे नियमित आधार पर नियुक्ति जारी की गई है ;
 - (ञ) "अधिवर्षिता" से अभिप्राय है, अठावन वर्ष की आयु ;
- (2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः इन नियमों में दिए गए हैं।
3. ऐसे रूप में पहले से कार्यरत कोई अतिथि शिक्षक, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को उसकी नियुक्ति का ढंग या रीति और दिए गए सेवाकाल के होते हुए भी अधिवर्षिता की आयु तक विभाग में कार्य करता रहेगा। सेवा की अवधि।
4. अतिथि शिक्षकों का समेकित मासिक मानदेय सरकार द्वारा नियमित कर्मचारियों को दिए गए महंगाई भत्ते के रूप में उसी अनुपात में प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन से बढ़ाया जाएगा ताकि मुद्रास्फीति पूरी तरह से निष्प्रभावी रहे। तथापि, ऐसा समेकित मानदेय विभाग के तत्समान नियमित शिक्षकों को दिए गए न्यूनतम वेतनमान (नियमित वेतनमान में निम्नतम ग्रेड) से अधिक नहीं होगा। परिश्रमिक/मानदेय।
5. (1) कोई अतिथि शिक्षक, विद्यालय जहां वह पदस्थ है, में अधिमान के क्रम में निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा :- कर्तव्य।
 - (i) स्वीकृत संख्या के विरुद्ध एक या से अधिक नियमित शिक्षकों की रिक्ति के कारण कक्षा अध्यापन ;
 - (ii) एक या से अधिक नियमित अध्यापकों की अनुपलब्धता के कारण कक्षा अध्यापन, चाहे प्राधिकृत छुट्टी, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति, अप्राधिकृत अनुपस्थिति या मृत्यु के कारण हो ;

- (iii) गैर-कक्षा शैक्षणिक कार्य जैसे - प्रतिकारात्मक अध्यापन, पर्यवेक्षण और टैस्टों का मूल्यांकन, प्रयोगशाला में प्रयोग इत्यादि;
- (iv) प्रशासकीय कर्तव्य जैसे -मीड-डे-मील स्कीम का पर्यवेक्षण, नामांकन अभियान, छात्रों के माता-पिता से बातचीत के माध्यम से समुदाय में जागरूकता अभियान या कोई डाटा एकत्रित करने या विभाग द्वारा प्राधिकृत सर्वे संबंधित कार्य ;

(2) यदि कोई अतिथि शिक्षक ने एक सम्पूर्ण मास के लिए उपरोक्त किन्हीं खण्डों (i), (ii) या (iii) के अधीन किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया है और यह सम्भाव्य है कि आगामी मास के लिए भी उक्त किन्हीं खण्डों के अधीन उसे इस प्रकार किसी कार्य करने के लिए बुलाया नहीं जाएगा, तो विद्यालय का मुखिया समुचित प्राधिकारी को सूचित करेगा, जो विद्यालय में अतिथि शिक्षक को स्थानान्तरित करेगा, जहां विद्यमान उक्त किन्हीं खण्डों के अधीन कार्य करने के लिए अपेक्षित हो।

(3) कोई अतिथि शिक्षक हरियाणा राज्य में किसी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होगा।

हटाया जाना।

6. (1) समुचित प्राधिकारी द्वारा किसी अतिथि शिक्षक को सेवा से हटाया जा सकता है, यदि वह भूल-चूक करने का दोषसिद्धि हो जाता है, जो, यदि सरकार के किसी नियमित कर्मचारी द्वारा की गई होती, उसे बड़ी शास्ति के लिए अनुशासनिक कार्यवाही के प्रारम्भ के लिए दायी बनाती है।

(2) इस प्रकार हटाया गया कोई अतिथि शिक्षक अपील प्राधिकारी के सम्मुख उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

प्रत्यायोजन।

7. समुचित प्राधिकारी, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी, जो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, की पदवी से नीचे का न हो, को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

8. (1) यदि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्वसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

9. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए मुआवजा, अवकाश, स्थानान्तरण, सेवा को निरस्त करना इत्यादि से सम्बन्धित नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के सम्मुख रखा जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण।

10. सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध किसी बात, जो इस अधिनियम या इसके अधीन जारी की गई अधिसूचना के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित है, के लिए कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

वर्ष 2005 में विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अध्यापकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के मुखियाओं/खण्ड शिक्षा अधिकारियों को क्रमांक संख्या 15/59-2005 तम (3) 29.11.2005, 16.12.2005 तथा 18.09.2006 अनुसार अधिकृत किया गया था कि वे अपने विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पदों तथा छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति कर लें। आरम्भ में इन अतिथि अध्यापकों को प्रति पीरियड प्रतिदिन के आधार पर एक निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया गया था परन्तु दिनांक 01.04.2009 से अतिथि अध्यापकों को वार्षिक अनुबन्ध आधार पर निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया गया था। इसलिए यह प्रस्तावित है कि पहले से अतिथि संकाय के आधार पर लगे अध्यापकों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की जाए तथा उन्हें सेवानिवृत्ति की आयु तक विभाग में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए।

राम बिलास शर्मा,
शिक्षा मन्त्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 26 फरवरी, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

अतिथि अध्यापकों को संकलित मासिक मानदेय के भुगतान के कारण सरकारी कोष पर लगभग 505 करोड़ की वित्तीय विविक्षा होगी तथा यह मानदेय प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से उसी अनुपात में बढ़ाया जाएगा जिस अनुपात में नियमित सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है ताकि मुद्रा स्फीति पूर्णतया निष्प्रभावी किया जा सके।

प्रत्यायोजित विधान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 9 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धित नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धित ज्ञापन सम्बन्धित है।